बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
यो05 / विविध 10 / 09 (पार्ट I) - 50 / यो0वि0, दिनांक 07 मई,2012

प्रेषक,

विजय प्रकाश,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

राज्य योजना से संबंधित
सभी विभागों के प्रधान सचिव / सचिव,
बिहार, पटना

विषयः विकास योजनाओं में आपदा न्यूनीकरण योजना को मुख्य धारा में समावेशित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 25.06.2011 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों के विकास योजनाओं में आपदा न्यूनीकरण योजना का मुख्य धारा में समावेशित किया जाय।

आप अवगत हैं कि बिहार राज्य एक आपदा प्रभावित राज्य है तथा इसके निवासियों को विभिन्न मानव एवं प्रकृति जनित आपदाओं को सामना करना पड़ता है जैसे बाढ़, सुखाड़, लू, शीत लहर, अगलगी आदि। इन आपदाओं के फलस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था एवं लोगों के जानमाल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया एवं सिद्धान्त को विकास की मुख्य धारा में लाना आवश्यक हो गया है।

इसके लिए राज्य योजना तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को विशेष रूप से ध्यान दिया जायः-

(क) किसी योजना के कार्यान्वयन के समय यह ध्यान रखा जाय कि योजना निर्माण से यातायात में अवरोध अथवा प्राकृतिक जल बहाव में बाधा जैसी स्थिति उत्पन्न न हो रही हो।

(ख) जब भी विकास के किसी क्षेत्र में नयी योजना कार्यान्वित करायी जाय तब इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि इस योजना का क्रियान्वयन से आपदा की संभावना न्यूनतम रहे उदाहरणार्थ :- किसी प्रकार के विद्यालय, सामुदायिक भवन, अस्पताल, आवासीय भवन, इन्दिरा आवास सहित उच्चतम बाढ़ स्तर (H.F.L.) से उपर हो तथा संरचना भूकम्परोधी भी हो।

(ग) योजनाओं के सूत्रण के साथ आपदा से बचाव और चेतावनी को भी समाहित किया जाय।

(घ) प्रशासी विभाग प्राधिकृत समिति के समक्ष योजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि आपदा न्यूनीकरण योजना को प्रस्तावित योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

विश्वासभाजन

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव